संदर्भ संख्या: प्लेक्स/सर्किल/606 14/10/2025

प्रति

प्लेक्सकॉन्सिल के सभी सदस्य / सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया

विषय: अनुपालन को आसान बनाने, बाह्य व्यापार और भुगतान को सुगम बनाने के लिए RBI के उपाय

आपको सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्यात डेटा प्रसंस्करण एवं प्रबंधन प्रणाली (EDPMS) और आयात डेटा प्रसंस्करण एवं प्रबंधन प्रणाली (IDPMS) पर कम मूल्य के निर्यात और आयात लेनदेन के समाधान से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए 1 अक्टूबर, 2025 को एक परिपत्र जारी किया है।

इस परिपत्र के अनुसार, प्राधिकृत व्यापारी (AD) बैंक EDPMS और IDPMS में ₹10 लाख प्रति प्रविष्टि/बिल से कम या उसके बराबर मूल्य की प्रविष्टियाँ (बकाया प्रविष्टियों सहित) निम्नलिखित समय तक बंद करेंगे:

- निर्यातकों से प्राप्त घोषणा के आधार पर ऐसी प्रविष्टियों का मिलान और समापन।
- शिपिंग बिलों/प्रवेश बिलों के घोषित मूल्य या चालान मूल्य में किसी भी प्रकार की कमी भी ऐसी घोषणा के आधार पर स्वीकार की जाएगी।
- निर्यातकों और आयातकों से तिमाही आधार पर समेकित रूप में घोषणाएँ प्राप्त की जा सकती हैं।

अधिक जानकारी के लिए यहां जाएं:

https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=12908&Mode=0

RBI ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन (उधार और उधार) (संशोधन) विनियम, 2025 भी जारी किए हैं, जो निम्नलिखित की अनुमति देते हैं:

- भारत में प्राधिकृत डीलर (एडी) बैंक और उनकी विदेशी शाखाएं भूटान, नेपाल और श्रीलंका में **व्यक्तियों और बैंकों को भारतीय रुपये में ऋण देंगी** ताकि सीमा पार व्यापार लेनदेन को सुविधाजनक बनाया जा सके।

आरबीआई ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (सातवां संशोधन) विनियम, 2025 भी जारी किया। इस संशोधन के अनुसार,

- भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में आईएफएससी के अंतर्गत किसी बैंक में रखे गए विदेशी मुद्रा खातों में प्राप्त निर्यात आय के प्रत्यावर्तन के लिए **समय सीमा** तीन महीने तक बढ़ा दी है।

  गौरतलब है कि जनवरी 2025 में, आरबीआई ने भारतीय निर्यातकों को निर्यात आय की प्राप्ति के लिए भारत के बाहर किसी बैंक में विदेशी मुद्रा खाते खोलने की अनुमति दी थी। लेकिन निर्यातकों को इन खातों में बची हुई शेष राशि को **प्राप्ति की तारीख से अगले महीने के अंत तक** वापस लाना अनिवार्य था।

इन संशोधनों का विवरण यहां से प्राप्त किया जा सकता है:

https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=61419

हम सभी सदस्यों को सलाह देते हैं कि वे इन सरलीकृत उपायों पर ध्यान दें और इनका लाभ उठाएँ।

सादर,

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल